

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहन सिंह, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 176/16 (वाद)

1. श्री महावीर सेन पिता राधेश्याम सेन निवासी टहला तहसील राजगढ जिला अलवर राज.।वादी

बनाम

1. श्री त्रिलोक चन्द पिता रामस्वरूप सेन निवासी मालपुरीया तह. दौसा जिला दौसा राज.।
2. श्री सवसिंह पिता रतनसिंह राजपूत निवासी भीमल तह.मावली।
3. श्री महेन्द्रसिंह ना.बा.ब.माता श्रीमती मीराकुंवर पत्नी श्री नाथूसिंह राजपूत निवासी भीमल तह.मावली।
4. श्री भरतसिंह ना.बा.ब.माता श्रीमती मीराकुंवर पत्नी श्री नाथूसिंह राजपूत निवासी भीमल तह.मावली।
5. श्रीमती मीराकुंवर पत्नी श्री नाथूसिंह राजपूत निवासी भीमल तह.मावली।
6. श्री देवीसिंह पिता उदेसिंह राजपूत निवासी भीमल तह.मावली।
7. श्रीमती भंवर कुंवर पिता उदेसिंह राजपूत निवासी भीमल तह.मावली।
8. श्रीमती टमूकुंवर पिता उदेसिंह राजपूत निवासी भीमल तह.मावली।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली।प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.04.2019 को मोहन सिंह, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा भीमल पटवार हल्का भीमल की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.स.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	लगान
1	महावीर पिता राधेश्याम सेन निवासी टहला तह.राजगढ जिला अलवर(राज.) खातेदार	1189/2	0.16	0.24
		1190/2	1.16	0.24
	योग	किता 2	1.12	0.48
2	त्रिलोकचन्द पिता रामस्वरूप सेन निवासी मालपुरिया तह. दौसा खातेदार	1189/3	0.15	0.23
		1190/3	0.17	0.26
	योग	किता 2	1.12	0.49
3	सवसिंह पिता रतनसिंह 12/23, महेन्द्रसिंह भरतसिंह पिता नाथूसिंह मीराकुंवर पत्नी नाथूसिंह 8/23 महेन्द्रसिंह भरतसिंह ना.बा.ब.वि.माता मीराकुंवर देवीसिंह पिता उदेसिंह 3/23 राजपुत सा.देह खातेदार	1189/1	0.15	0.23
		1189मी.	0.11	0.16
		1190/1	0.16	0.24
		1190मी.	3.15	2.32
	योग	किता 4	5.17	2.95

नोट-उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(मोहन सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मावली